क्रमांक 12/59/89-2 जी० एस० I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, सभी मण्डलों के आयुक्त तथा
   सभी उपायुक्त, हरियाणा।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय।

दिनांक चण्डीगढ़ 24-5-1990

विषय—लिपिकों/टाईपिस्टों के पदों को भरना।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 39/4/79-जी० एस०, I, दिनांक 3-4-1978 की दिलाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि यह देखने में आया है कि लिपिक प्रायः अंग्रेजी भाषा में टाईप टैस्ट करते हैं जिससे हिन्दी में किए जाने वाले सरकारी कार्य के निपटान में अनावश्यक देरी होती है। अतः सरकार ने मामले पर पुनः विचार करते हुए प्रशासनिक हित में यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक लिपिक के लिये हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में क्रमशः 25 तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईप टैस्ट पास करना अनिवार्य होगा।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि उम्मीदवारों को लिपिक के पद पर नियुक्ति पत्र जारी करते समय भाषाओं में उक्त गति से टाईप टैस्ट पास करने की शर्त उनके नियुक्ति पत्र में ही लगा दी जाये।

यह हिदायतें तुरन्त प्रभाव से लागू होंगी। जो कर्मचारी लिपिक के पद पर कार्य कर रहे हैं उन पर नहीं होंगी। इन हिदायतों का दृढ़ता से पालना किया जाये।

भवदीय,

हस्ता/-

अधीक्षक सामान्य सेवायें शाखा

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

क्रमांक 12/26/91-2 जी.एस. I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
    आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गांव तथा रोहतक मंडल।

(2) सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी।

(3) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ 2 अप्रैल, 1991.